

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व अधिनियम नं० 254/2021

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- पूंजाराम, शिवनाथ, दोलाराम, विमालाराम पि० रामाराम, गुमानाराम, देवाराम विस्धाराम व मोहनराम पि० जगमालराम कौम कुम्हार निवासी भगवानपुरा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांक :- 17.8.2022



प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपटित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ गेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते/ सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम भगवानपुरा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जा लागू नहीं) शिवनाथ की ढाणी से गुमानाराम की ढाणी तक ग्रेवल से जोड़ने वाला वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम भगवानपुरा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम भगवानपुरा के खसरा न 4278/2974 की भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार ग्राम आबादी शिवनाथ की ढाणी से गुमानाराम की ढाणी तक ग्रेवल सड़क रास्ता राजस्व रेकर्ड व लट्टा नक्शा में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपटित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उनके पर पुराने

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

समय से रास्ता खोलने में सफल है तथा ग्राम पंचायत इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/ इस्तेमाल में ले रहे है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार कर विप्र.सं.सं. का नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थीगण पार्टी संख्या 1 ता 8 की ओर से सहमति पत्र की गयी। भूमि धारक तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई आक्षेप पत्रावली पर नहीं है। बाद विवेचन तहसीलदार पंचपदरा की ओर से ग्राम भगवानपुरा में एक ग्रैवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) आवादी शिवनाथ की ढाणी से गुमानाराम की ढाणी ग्रैवल सड़क से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम प्रतापनगर में एक ग्रैवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो आवादी शिवनाथ की ढाणी से गुमानाराम की ढाणी ग्रैवल सड़क, जोड़ने वाली सड़क, कटान नस्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पंचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को संबंधित कार्रकारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायाचित प्रतीत माना है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पंचपदरा स्वीकार कर ग्राम भगवानपुरा में एक ग्रैवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो शिवनाथ की ढाणी से गुमानाराम की ढाणी तक ग्रैवल सड़क से ग्राम भगवानपुरा के खसरा नं. 4278/2974 भूमि में एक ग्रैवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रस्तावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतीनी में वर्णित विवरण अनुसार पस्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पंचपदरा को दिये जाते है, एकल रास्ता को एकल प्लेवन अनुमान संशोधन आदेशों के नाम खाता से भी दर्ज रहेगा। तहसीलदार पंचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नजरीमा खतीनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय में दर्ज किया गया रहेगा।



(नेमब.सिनी)

**उप-खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा**

आदेश आज दिनांक 17.08.2022 को खुल न्यायालय में को सुनाया गया।

म-आमित/अधिकारी,
**उप-खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा**